रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 227] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 30, 1972/भाद्र 8, 1893

No. 227] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 30, 1972/BHADRA 8, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 30th August 1972

G.S.R. 397(E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the passports Rules, 1967, namely:—

1. (1) These rules may be called the Passports (Third Amendment) Rules, Rules),—

(2) They shall come into force on the 1st September, 1972.

2. In rule 10 of the Passports Rules, 1967 (hereinafter referred to as the said rules),—

(i) to sub-rule (1), the following proviso shall be added, namely:—
"Provided that an India-Bangladesh passport shall continue in force for a period of three years from the date of its issue.";

(ii) sub-rule (4) shall be omitted.

3. In Schedule II to the said rules, under the heading "Part II—TRAVEL DOCUMENTS", item No. III and the entries relating thereto shall be omitted.

4. In Schedule III, for Form EA(P) 11, the following forms shall be inserted, namely:—

SCHEDULE III

[*see* rule 5)

FORM EA (P) 11

APPLICATION FORM FOR INDIA-BANGLADESH PASSPORT

1. Name of the applicant in full (Block letters)

2. Permanent address in India.

3. Name of father/husband.

4. If applicant is a minor, name nationality and address of guardian and his relationship with applicant.

5. Nationality.

6. Profession or occupation. (give details)

7. Place of birth (also indicate Tehsil, District and State).

8. Date of birth.

9. Descriptive particulars. (*a*) height

(*b*) colour of eyes.

(*c*) colour of hair.

(*d*) visible distinguishing marks.

10. Purpose of visit.

11. The following of my children below 15 years of age may accompany me :

Name of child	Date of birth	Sex.
(*i*)		
(*ii*)		
(*iii*)		
(*iv*)		

12. I have not previously held or applied for any Passport for myself or any of my children including in para 11/my previous passports has/have been surrendered to———

my previous passport is attached herewith (strike out whichever is not applicable). I have no other application for a passport since the attached passport/passports was/were issued to me or to any child included in para 14.

IndiaCode

13. I solemnly declare that all the facts stated in this application are true to the best of my knowledge and belief. Should any of the declarations made or facts stated in this application be found to be untrue, I render myself liable to prosecution, and any passport that may be granted to me in pursuance of this applicaton shall, at the discretion of the Government of India, be liable to be revoked and impounded.

PLACE.....
DATE.....

Signature or left thumb impression of the applicant.

14. *In case of minor applicants only*

I hereby accept full responsibility for the correctness of statements made above.

PLACE.....
DATE.....

Signature of Guardian or left thumb impression.

SCHEDULE III

(*see* rule 5)

FORM EA(P) 12

APPLICATION FORM FOR RENEWAL OF INDIA-BANGLADESH PASSPORT OR FOR ISSUE OF NEW PASSPORT BOOKLET

(1) I, the undersigned (full name in Block letters).....

..... at present residing at.....
apply for the renewal of India-Bangladesh Passport
No..... dated.....issued by.....
..... on the.....
.....for a further period of.....

OR

For a new Passport booklet as all the space for visas and endorsement on existing Passport booklet has been exhausted.

(2) I also request renewal in respect of the following child/children who is/are included in Passport and has/have not attained the age of 15 years.

Name (s) and age (s) of child/children
.....
.....

NOTE : Score out if no child is included in the Passport or if renewal for child/children is not required. Children who have attained the age of 15 years require separate Passports.

(3) I declare that I continue to remain a citizen of India and that since the Passport was issued/last renewed I have not :—

(*i*) voluntarily acquired the citizenship of any foreign state ; or

(*ii*) otherwise lost Indian citizenship.

(4) I further declare that—

(*i*) I have no other Passport in my possession ;

(*ii*) the signature/left thumb impression below is mine.

(5) I solemnly declare that all the particulars stated in this application are true both in substance and in fact. Should any of the particulars stated or declarations made in the application be found to be untrue., I render myself liable to prosecution and the Passport that may be renewed in pursuance of this application shall, at the discretion of the Government of India, be liable to be revoked and impounded.

PLACE.....
DATE.....

Signature or left thumb impression of applicant.

5. In Schedule V to the said rules, for Sl. No. 11 and the entries relating thereto, the following Sl. Nos. shall be inserted, namely :—

"11.	India-Bangladesh Passport for travel between India and Bangladesh	Rs. 10/-
12.	Renewal of India-Bangladesh Passport	Rs. 5/- for 3 years or Rs. 2/- for 1 year or part thereof.".

6. In Schedule VI to the said rules, for "Form of Certificate for travel between India and Bangladesh", the following form shall be substituted namely :—

"SCHEDULE VI

(*See* rule 9)

FORM OF INDIA-BANGLADESH PASSPORT FOR TRAVEL BETWEEN INDIA AND BANGLADESH

(Front Cover)

INDIA-BANGLADESH PASSPORT

REPUBLIC OF INDIA

(Inside front cover)

Hindi version

These are to request and require in the Name of the President of the Republic of India all those whom it may concern to allow the bearer to pass freely without let or hindrance, and to afford him other every assistance and protection of which he or she may stand in need.

Given at
the.....day of19....

By order of the President of the Republic of India.

.....

.....

(Page 1)

This Passport contains 32 pages

GOVERNMENT OF INDIA

PASSPORT

This Passport is valid only for direct travel between India and Bangaldesh and may not be used for travel to any other country.

No. of Passport

Name of Bearer

Parmanent Address in India

Village or Town]

Police Station]

District.....State.....

Accompanied by.....Children.

National Status

Description

Profession

Place, district and State of birth.....

Date of Birth

Domicile

Height.....M.....Cm.....

Colour of Eyes.....

Colour of Hair

Visible Distinguishing Marks.....

IndiaCode

(page 2 contd.)

CHILDREN

Name	Date of Birth	Male/Female
1.		
2.		
3.		
4.		

(Page 3)

PHOTOGRAPH OF BEARER

(PHOTO)

Signature of bearer

OBSERVATIONS

(Page 4)

Unless renewed the validity of this Passport expires on:

RENEWALS

IndiaCode

(Page 5)

Name of Father and his full address

(including village or town, district and State):—

.....

.....

.....

If holder is a married lady or a widow, name, occupation and address or last address of husband.

.....

.....

.....

(Pages 6 to 16)

VISAS

(Pages 17 to 30)

ENDORSEMENTS

(Pages 31 and 32)

FOREIGN EXCHANGE FOR TRAVELLING EXPENSES

No entries to be made on this page except by an authorised dealer in foreign exchange.

Date	Amount issued or refunded (Sterling or rupees equivalent to nearest £ or Re.)	Stamp and signature of Authorised Dealer selling exchange.

(Inside back cover)

Hindi Version

IMPORTANT

1. This passport is the property of the Government of India, and may, at the discretion of that Government, at any time be revoked, and where the passport is so revoked, it shall be lawful for that Government to retain its possession if it is in its possession and to recover its possession if it is not in its possesion.

2. In case of loss of this passport, that fact and the circumstances leading to the loss must be reported immediately to the issuing authority and the nearest police station or, if loss occurs while in Bangladesh, to the nearest Indian Diplomatic Mission and the local police.

3. This passport must not be altered or multilated in any way nor any endorsement made on it by any person other than a duly authorised official.

Regulations

1. Application for renewal must be made before the date of expiry of the passport and normally not more than three months before such expiry.

2. The possession of this passport does not exempt the bearer from compliance with Visa and Immigration regulations of Bangladesh and emigration rules of India.

3. (i) A separate passport must be taken out for each person above fifteen years of age.

(ii) Children under fifteen years of age may be included in the passport of either parent whom they accompany.

4. This passport should not be sent out of the country of residence by post.

[No. VI/401/50/72.]

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1972

जी० एस० आर० 397 (अ) :—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का पन्द्रहवां) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, पासपोर्ट नियम 1967 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम निर्माण करती है :—

1. (1) इन नियमों को पासपोर्ट (तीसरा संशोधन) नियम, 1972 कहा जाए ।

(2) दिनांक 1 सितम्बर, 1972 से यह नियम लागू होंगे ।

2. पासपोर्ट नियम, 1967 (आगे इन्हें 'उपर्युक्त नियम' कहा गया है) के नियम 10 में :—

(1) उपनियम (1) में निम्नलिखित उपबन्ध और जोड़ा जाएगा, यथा :—

"भारत बंगला देश पासपोर्ट जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक जारी रहेगा"

(2) उपनियम (4) हटा दिया जाएगा ।

3. उपर्युक्त नियमों की अनुसूची दो में, "भाग दो-यात्रा के कागजात", शीर्ष के अंतर्गत मद स० तीन और उससे संबंधित इन्दराज हटा दिए जाएंगे ।

4. अनुसूची तीन में फार्म ई० ए० (पी०) 11 के स्थान पर निम्नलिखित फार्म शामिल किए जाएंगे :—

अनुसूची तीन

(नियम 5 देखिए)

फार्म ई० ए० (पी०)—11

भारत-बंगला देश पासपोर्ट के लिए आवेदन पत्र

1. आवेदक का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

2. भारत में स्थायी पता

3. पिता / पति का नाम

4. यदि आवेदक अल्पवयस्क है, तो उसके संरक्षक का नाम, राष्ट्रीयता तथा पता और आवेदक से उसका संबंध

5. राष्ट्रिकता

6. व्यवसाय (विवरण दीजिए)

7. जन्म स्थान (तहसील, जिला एवं राज्य का भी उल्लेख करें)

8. जन्म की तिथि

9. विस्तृत ब्यौरे :—

(क) ऊंचाई

(ख) आंखों का रंग

(ग) बालों का रंग

(घ) स्पष्ट पहचान चिह्न

10. यात्रा का उद्देश्य

11. 15 वर्ष से कम आयु के मेरे निम्नलिखित बच्चे मेरे साथ जा सकते हैं :—

	बच्चे का नाम	जन्म तिथि	लड़का / लड़की
(1)			
(2)			
(3)			
(4)			

12. मैंने, स्वयं अथवा अपने बच्चों के लिए, पैरा (11) को शामिल करते हुए न किसी पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है और न लिया है। मेरा/मेरे पिछला / पिछले पासपोर्ट
को सौंप दिया / दिए गए हैं। मेरा पिछला पासपोर्ट इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न है (जो लागू न होता हो काट दें) संलग्न पासपोर्ट / पासपोर्टों के मुझको / मेरे बच्चों को (पैरा 14 में शामिल किए गए) जारी किए जाने की तारीख से मैंने किसी पासपोर्ट के लिए आवेदन नहीं किया है।

13. मैं निष्ठापूर्वक घोषित करता हूं कि इस आवेदन पत्र में दिए गए तथ्य, मेरे परम विश्वास और जानकारी के अनुसार सही है। इस आवेदन पत्र में दिए गए कोई भी तथ्य या घोषणाएं यदि असत्य पाई जाएं तो मुझे दण्ड दिया जाए और इस आवेदन पत्र के आधार पर दिए गए किसी भी पासपोर्ट को भारत सरकार के विवेक के अनुसार प्रति संहृत कर लिया जाय या अवरुद्ध कर दिया जाय।

स्थान आवेदक के हस्ताक्षर अथवा बाएं हाथ के अंगूठे का निशान

तारीख

14. केवल अल्पवयस्क आवेदकों के लिए

मैं एतद्द्वारा उपर दिए गए कथनों के सही होने की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं

स्थान संरक्षक के हस्ताक्षर अथवा बाएं हाथ के अंगूठे का निशान

तारीख

IndiaCode

अनुसूची तीन

(नियम 5 देखिए)

फार्म ई०ए (पी०)–12

भारत बंगला देश पासपोर्ट के नवीकरण या नई पासपोर्ट-पुस्तिका जारी करने के लिए आवेदनपत्र

(1) मैं, अधोहस्ताक्षरी (पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में)———————————
——————————————— वर्तमान पता ———————————
———————————————भारत बंगला देश पासपोर्ट सं०———————
दिनांक———————————जारी करने वाले अधिकारी का नाम———————
——————————————— ——————— को———————
———————————अवधि हेतु नवीकरण के लिए

अथवा

नइ पासपोर्ट-पुस्तिका के लिए, चूंकि वर्तमान पुस्तिका में वीजा एवं इन्दराजों के लिए दी गई समस्त जगह भर चुकी है, आवेदन करता हूं ।

(2) मैं निम्नलिखित बच्चों / बच्चे, जो पासपोर्ट में शामिल हैं किन्तु उसकी / उनकी आयु अभी 15 वर्ष नहीं हुई है, के नवीकरण के लिए भी अनुरोध करता हूं ।

बच्चे /बच्चों का / के नाम एवं आयु ———————————————

———————————————

———————————————

टिप्पणी :

यदि पासपोर्ट में किसी बच्चे को शामिल न किया गया हो या बच्चे / बच्चों के लिए नवीकरण न कराना हो तो कृपया काट दें । जिन बच्चों की आयु 15 वर्ष हो गई हो उनके लिए अलग से पासपोर्ट लेना होगा ।

(3) मैं घोषित करता हूं कि मैं निरंतर भारत का नागरिक हूं और पिछले बार पासपोर्ट जारी किए जाने / नवीकरण किए जाने के समय से :—

(1) मैंने स्वेच्छा से कोई विदेशी नागरिकता प्राप्त नहीं कर ली है

(2) और न भारत की नागरिकता खोई है ।

(4) मैं यह भी घोषित करता हूं :—

(1) मेरे पास अन्य कोई पासपोर्ट नहीं है ;

(2) नीचे दिए गए हस्ताक्षर / बाएं हाथ के अंगूठे का निशान मेरा है ।

(5) मैं निष्ठापूर्वक घोषित करता हूं कि इस आवेदन पत्र में दिए गए सभी विवरण वस्तुतः सही है। इस आवेदन पत्र में दिए गए विवरणों या की गई घोषणाओं में से यदि कोई भी असत्य पाई जाए तो मुझे दण्ड दिया जाय और इस आवेदन के आधार पर जो भी पासपोर्ट नवीकृत किया जाए, वह भारत सरकार के विवेक के अनुसार प्रतिसंहृत या अवरुद्ध कर लिया जाए।

स्थान———————— आवेदक के हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान

तिथि————————

5. उपर्युक्त नियमों की अनुसूची पांच में, क्रम सं० 11 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याएं शामिल की जाएंगी :—

"11 भारत बंगला देश के बीच यात्रा के लिए भारत बंगला देश पासपोर्ट	—रु० 10.0
12 भारत बंगला देश पासपोर्ट का नवीकरण	—रु० 5.00 तीन वर्ष के लि अथवा रु० 2.00 प्रति वष या वर्ष के किसी भाग के लिए।"

6. उपयुक्त नियम की अनुसूची छह में "भारत-बंगला देश के बीच यात्रा के लिए प्रमाणपत्र का फार्म" के स्थान पर निम्नलिखित फार्म शामिल किया जाएगा।

'अनुसूची छह'

(नियम 9 देखिए)

भारत बंगला देश के बीच यात्रा के लिए भारत बंगला देश पासपोर्ट का फाम

(मुख पृष्ठ)

भारत बंगला देश पासपोर्ट

चिह्न

भारतीय गणतंत्र

(मुख पृष्ठ का भीतरी भाग)

भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति की ओर से उन सबसे जिनसे इसका सरोकार हो, यह अनुरोध एवं अपेक्षा की जाती है कि वे धारक को बिना रोक टोक या बाधा के मुक्ततापूर्वक चले जाने दें और उसकी आवश्यकतानुसार उसे हर प्रकार की सहायता एवं सुरक्षा प्रदान करें।

———————————

———————————

भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के आदेश से

स्थान ————————————पर

मास ————————— के ————दिन

पर प्रदान किया गया।

(पृष्ठ–1)

इस पासपोर्ट में 32 पृष्ठ हैं

भारत सरकार

पासपोर्ट

यह पासपोर्ट भारत और बंगला देश के बीच सीधी यात्रा के लिए ही वैध है। किसी अन्य देश की यात्रा के लिए इसे प्रयोग नहीं किया जा सकता।

पासपोर्ट सं०----------

धारक का नाम----------

भारत में स्थायी पता

गांव या नगर----------

थाना----------

जिला----------राज्य----------

साथ जानेवाले----------बच्चे

राष्ट्र में स्थिति

.....

.....

(पृष्ठ 2)

विवरण

व्यवसाय

जन्मस्थान, जिला

एवं राज्य

जन्मतिथि

अधिवास

ऊंचाईमी०.....से० मी०.....

आंखों का रंग

बालों का रंग

स्पष्ट पहचान चिह्न

IndiaCode

बच्चे

नाम	जन्म तिथि	लड़का / लड़की
1.....		
2.....		
3.....		
4.....		

(पृष्ठ 3)

धारक का फोटो

फोटो

धारक का हस्ताक्षर

टिप्पणियों

.....

.....

.....

(पृष्ठ 4)

यदि नवीकरण न कराया गया तो यह पासपोर्ट दि०..... को समाप्त हो जाएगा ।

.....

नवीकरण

(पृष्ठ 5)

पिता का नाम एंव पूरा पता
(गांव, अथवा नगर, जिला और राज्य सहित)

.....

.....

.....

.....

यदि धारक विवाहित या विधवा महिला है, तो पति का नाम व्यवसाय और पता या पिछला पता दीजिए ।

.....

.....

.....

(पृष्ठ 6 से 16 तक)

खाली

IndiaCode

(पृष्ठ 17 से 30 तक)

प्रविष्टियां

(पृष्ठ 31 और 32)

यात्रा व्यय के लिए विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा विनिमय से प्राधिकृत व्यापारी के अतिरिक्त किसी अन्य द्वारा इस पृष्ठ पर कोई प्रविष्टि न की जाए

तारीख	जारी की गई या लौटाई गई राशि (निकटतम £ या रु० के तुल्य स्टर्लिंग या रुपये)	विनिमय देने वाले प्राधिकृत व्यापारी की मोहर और हस्ताक्षर

(पृष्ठ भाग के अन्दर का पृष्ठ)

आवश्यक

1. यह पासपोर्ट भारत सरकार की सम्पत्ति है और यह सरकार स्वेच्छानुसार किसी भी समय, यदि चाहे तो इस पासपोर्ट को रद्द कर सकती है। जहां पासपोर्ट इस तरह रद्द किया गया हो, सरकार के लिए यह वैध होगा कि पासपोर्ट को अपने पास रख ले, यदि वह उसके कब्जे में है और यदि उसके पास न हो तो उस पर अपना कब्जा कर ले।

2. यदि यह पासपोर्ट खो जाय, तो इसकी सूचना और जिन हालात में यह खो गया हो उसकी रिपोर्ट तुरन्त जारी करने वाले अधिकारी को और निकटतम थाने में करनी चाहिए या अगर बंगला देश में खो जाय तो निकटतम भारतीय राजनयिक मिशन व स्थानीय पुलिस में इसकी सूचना देनी चाहिए।

विनियम

1. अवधि बढ़ाने के निवेदन-पत्र पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने के पहले ही देने चाहिए और साधारण रूप से अवधि समाप्त होने के तीन महीने से अधिक पहले नहीं देने चाहिए।

2. यह पासपोर्ट होने से धारक को बंगला देश के वीजा और आप्रवास नियमों तथा भारत के उत्प्रवास नियमों के पालन में छूट नहीं होगी।

3. (1) पंद्रह वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अलग पासपोट अवश्य लिया जाना चाहिए।

(2) पंद्रह वर्ष से कम आयु के बच्चे माता या पिता किसी के पासपोर्ट में, जिसके साथ यात्रा करते हों शामिल किए जा सकते हैं।

4. इस पासपोर्ट को आवास वाले देश से बाहर डाक से नहीं भेजना चाहिए।

[सं० छह (401)/50/72]

G.S.R. 398(E).—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of External Affairs No. G.S.R. 70(E) dated the 3rd February, 1972, (as amended from time to time), the Central Government hereby directs that the power or function which may be exercised or performed by it under the said Act [other than the power under clause (d) of sub-section (2) of that section or the power under section 24] shall, in so far as the provisions of the said Act relate to the issue of India Bangladesh Passport for travel between India and Bangladesh to the citizens of India, be exercised also by an authority specified in column (2) of the Schedule below in respect of the territorial unit mentioned in the corresponding entry in column (1) thereof.

SCHEDULE

Territorial Unit	Designation of Officer
1. Andhra Pradesh . . .	1. Deputy Secretary to the Government of Andhra Pradesh, Home Department, Hyderabad.
2. Assam	1. Chief Secretary to the Government of Assamt, Shillong. 2. Additional Chief Secretary to the Government of Assam, Shillong. 3. Deputy Secretary to the Government of Assam Shillong. 4. Under Secretary to the Government of Assam Passport Department Shillong. 5. Deputy Commissioner, Goalpara, Dhubri. 6. Deputy Commissioner, Kamrup, Gauhati. 7. Deputy Commissioner, Darrang, Tezpur, 8. Deputy Commissioner, Nowgong, Nowgong. 9. Deputy Commissioner, Sibsagar, Jorhat. 10. Deputy Commissioner, Mikar Hills, Diphu. 11. Deputy Commissioner, Lakhimpur, Lakhimpur. 12. Deputy Commissioner, North Cachar Hills, Haflong. 13. Deputy Commissioner, Cachar, Silchar. 14. Deputy Commissioner, Dibrugarh, Distt. Dibrugarh.
3. Bihar .	Under Secretary to the Government of Bihar, Political Department, Passport Branch, Patna.
4. Gujarat	Special Officer to the Government of Gujarat, Passport), General Aaministration Department Sachivalaya, Ahmedabad.
5. Haryana . . .	Deputy Secretary to the Government of Haryan, Home II Department, Chandigarh.

Territorial Unit	Designation of Officer
6 Himachal Pradesh . .	Joint Secretary (Home) to the Government of Himachal Pradesh, Kennedy House, Simla.
7 Jammu & Kashmir . .	Deputy Secretary to the Government of Jammu/Kashmir, Home Department, Passport Section, Srinagar.
8 Kerala	Joint Secretary to the Government of Kerala, Home Department, Trivandrum.
9 Madhya Pradesh . . .	Deputy Secretary to the Government of Madhya Pradesh, Home (Genl) Department, Bhopal.
10 Maharashtra	Under Secretary to the Government of Maharashtra, General Administration Deptt., Passport Office, Barrack No. 3, Behind Yogakri a, Cama Road, Marine Lines, Bombay-20.
11 Manipur	Chief Secretary to the Government of Manipur, Home Department, Imphal.
12 Meghalaya	1. Special Secretary to the Government of Meghalaya, Shillong. 2. Secretary to the Government of Meghalaya, Home Department, Passport Branch, Shillong. 3. Additional Secretary to the Government of Meghalaya, Home Department, Passport Branch, Shillong. 4. Under Secretary to the Government of Meghalaya Home Deptt., Passport Branch, Shillong. 5. Deputy Commissioner, Jaintia Hills, Distt. Jowai. 6. Deputy Commissioner, hasi Hills, Distt. Shillong. 7. Deputy Commissioner, Distt. Shillong, Shillong. 8. Deputy Commissioner, Garo Hills, Distt. Tura.
13. Mysore	Deputy Secretary to the Government of Mysore, Department, Bangalore.
14. Nagaland	Chief Secretary to the Government of Nagaland, Kohima.
15. Orissa	Deputy Secretary to the Government of Orrisa, Home Department, Bhubaneshwar.
16. Punjab	Assistant Secretary to the Government of Punjab, Home Department, Chandigarh.
17. Rajasthan	Deputy Secretary to the Government of Rajasathan, Home Department, (Civil Defence Border Affairs & RAC etc.) Jaipur.
18. Tamil Nadu	Deputy Secretary to the Government of Tamil Nadu Home Department, Madras.
19. Tripura	1. Deputy Secretary, Government of Tripura, Home (Pol.) Deptt., Passport Section, Agartala. 2. Under Secretary to the Government of Tripura, Political Department, Agartala.
20. Uttar Pradesh	Under Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Griha (Passport) Anubhag, Lucknow.

Territorial Unit	Designation of Officer
21. West Bengal	1. Deputy Secretary to the Government of West Bengal, Home (Passport) Deptt. Western Circle, First floor, Main Block Writers' Building, Calcutta-16.
	2. Assistant Secretary to the Government of West Bengal, Home (Passport) Department, 11/A, Free School Street, Calcutta-16.
	3. District Magistrate and Collector, West Dinajpur, Balurghat.
	4. Additional District Magistrate, West Dinajpur, Balurghat.
	5. Additional District Magistrate, Midnapore.
	6. District Magistrate, Burdwan.
	7. Additional District Magistrate, Burdwan.
	8. Deputy Magistrate and Collector, Burdwan.
	9. District Magistrate and Collector, Bankura.
	10. Senior Deputy Magistrate and Collector, Bankura.
	11. Deputy Commissioner, Purulia.
	12. Senior Deputy Collector, Purulia.
	13. District Magistrate and Collector, Howrah.
	14. Additional District Magistrate, Howrah.
	15. Senior Deputy Collector, Horrah.
	16. District Magistrate, Nadia, P.O. Krishnagar.
	17. Additional District Magistrate, Nadia.
	18. Deputy Commissioner, Jalpaiguri.
	19. Deputy Commissioner, Darjeeling.
	20. Sub-Divisional Officer, (Sadar), Darjeeling.
	21. Additional District Magistrate (General), Murshidabad.
	22. District Magistrate, Murshidabad.
	23. Deputy Commissioner, Cooch Behar (West Bengal).
	24. Additional Deputy Commissioner, Cooch Behar, (West Bengal).
	25. District Magistrate, 24-Parganas, Alipore.
	26. Deputy Magistrate, Alipore.
	27. District Magistrate and Collector, Birbhum, Suri
	28. Sub-Magistrate and Sub-Collector and Senior Deputy Collector, Birbhum.
	29. District Magistrate, Malda.

Territorial Unit	Designation of Officer
21. West Bengal—*contd*	30. Senior Deputy Magistrate, Senior Deputy Collector, Malda.
	31. District Magistrate, Hooghly.
	32. Additional District Magistrate, Hooghly.
	33. Additional District Magistrate (General), Hooghly.
	34. Special Officer to the Government of West Bengal Home (Passport) Department, Calcutta-16.
	35. District Magistrate, Midnapore.
Union Territories	
22. Andaman and Nicobar Islands .	Deputy Commissioner, Andaman and Nicobar Islands Port Blair.
23. Arunachal Pradesh . . .	Chief Secretary to the Government of Arunachal Pradesh Shillong.
24. Chandigarh	The Chief Commissioner, Union Territory of Chandigarh, Chandigarh.
25. Delhi	1. The Secretary (Passport), Delhi Administration, Delhi.
	2. Under Secretary (Passport), Delhi Administration, Delhi.
	3. Under Secretary (Home), Delhi Administration, Delhi.
26. Goa, Daman & Diu . .	Under Secretary, Home Department, Government of Goa, Daman & Diu, Panaji.
27. Laccadive, Minicoy and Amindive Islands.	Administrator of the Union Territory of Laccadives Kavarathi Islands, (via H.P.O. Calicut).
28. Mizoram	1. Chief Commissioner, Union territory of Mizoram, Mizo Hills District, Aijal.
	2. Chief Secretary, Union territory of Mizoram, Mizo Hills District, Aijal.
29. Pondicherry	Under Secretary to the Government of Pondicherry, Home Department, Pondicherry
Regional Passport Officer	The regional passport officer, Shastri Bhawan, New Delhi.

[No. VI/401/50/72]
AVTAR SINGH, Under Secy.

जी० एस० आर० 398(अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का पंद्रहवां) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और विदेश मंत्रालय के सं० जी० एस० आर० 70 (ई) दिनांक 3 फरवरी, 1972 (जैसी कि समय समय पर संशोधित की गई) अधिसूचना को विस्थित करते हुए, एतद्द्वारा केंद्रीय सरकार यह निदेश करती है कि उपर्युक्त अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य या प्रयोग में लाए जाने वाले अधिकार (उपर्युक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (घ) में दिए गए अधिकार अथवा धारा 24 में प्रदत्त अधिकारों के अलावा), जहां तक उपर्युक्त अधिनियम की व्यवस्थाओं का भारतीय नागरिकों द्वारा भारत और बंगला देश के बीच यात्रा के लिए भारत-बंगला देश पारपत्र जारी करने का सम्बन्ध है, संलग्न

अनुसूची के कालम (2) में निर्धारित अधिकारियों द्वारा भी, अनुसूची के तद्नुरूपी कालम (एक) में उल्लिखित क्षेत्रीय इकाइयों के सम्बन्ध में प्रयोग किए जाएं ।

अनुसूची

क्षेत्रीय इकाई	अधिकारी का पदनाम
1	2
राज्य	
1. आन्ध्र प्रदेश . .	1. उप सचिव, आन्ध्र प्रदेश सरकार, गृह विभाग, हैदराबाद ।
2. असम . .	1. मुख्य सचिव, असम सरकार, शिलांग
	2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, असम सरकार, शिलांग
	3. उप सचिव, असम सरकार, शिलांग
	4. अवर सचिव, असम सरकार, पारपत्र अनुभाग, शिलांग
	5. उप आयुक्त, गोलपाड़ा, दुबरी
	6. उप आयुक्त, कामरूप, गौहाटी
	7. उप आयुक्त, धरांग, तेजपुर
	8. उप आयुक्त, नवगंग, नवगंग
	9. उप आयुक्त, सिबसागर, जोरहाट
	10. उप आयुक्त, मीकर हिल्स, डीफू
	11. उप आयुक्त, लखीमपुर, लखीमपुर
	12. उप आयुक्त, नार्थ कछार हिल्स, हाफ़लांग
	13. उप आयुक्त, कछार, सिलचर
	14. उप आयुक्त, डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़
3. बिहार . .	उप सचिव, बिहार सरकार, राजनीतिक विभाग पारपत्र शाखा, पटना ।
4. गुजरात . .	विशिष्ट अधिकारी, गुजरात सरकार (पारपत्र) सामान्य प्रशासन विभाग, सचिवालय, अहमदाबाद
5. हरयाना . .	उप सचिव, हरयाना सरकार, गृह दो विभाग, चंडीगढ़
6. हिमाचल प्रदेश .	संयुक्त सचिव (गृह) हिमाचल प्रदेश सरकार, केनेडी हाउस शिमला ।
7. जम्मू कश्मीर .	उप सचिव, जम्मू एवं कश्मीर सरकार, गृह विभाग, (पारपत्र अनुभाग), श्रीनगर ।
8. केरल . .	संयुक्त सचिव, केरल, गृह विभाग, त्रिवेन्द्रम

1	2
9. मध्य प्रदेश . .	उप सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, गृह (सामान्य) विभाग, भोपाल
10. महाराष्ट्र . .	अवर सचिव, महाराष्ट्र सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, पारपत्र कार्यालय, बैरक सं० 3, योगाक्रिम के पीछे, केमा रोड, मैरीन लाइन्स, बम्बई–20.
11. मनीपुर . .	मुख्य सचिव, मनीपुर सरकार, गृह विभाग, इम्फाल
12. मेघालय . .	1. विशिष्ट सचिव, मेघालय सरकार, शिलांग 2. सचिव, मेघालय सरकार, गृह विभाग, पारपत्र शाखा, शिलांग 3. अतिरिक्त सचिव, मेघालय सरकार, गृह विभाग, पारपत्र शाखा, शिलांग 4. अवर सचिव, मेघालय सरकार, गृह विभाग, पारपत्र शाखा, शिलांग 5. उप आयुक्त, जयन्तिया हिल्स, जि० जोवाई 6. उप आयुक्त, खासी हिल्स, जि० शिलांग 7. उप आयुक्त, जि० शिलांग, शिलांग 8. उप आयुक्त, गारो हिल्स, जि० तूरा
13. मैसूर . .	उप सचिव, मैसूर सरकार, गृह विभाग, बंगलोर
14. नागालैंड . .	मुख्य सचिव, नागालैंड सरकार, कोहिमा
15. उड़ीसा . .	उप सचिव, उड़ीसा सरकार, गृह विभाग, भुवनेश्वर
16. पंजाब . .	सहायक सचिव, पंजाब सरकार, गृह विभाग, चंडीगढ़
17. राजस्थान . .	उप सचिव, राजस्थान सरकार, गृह विभाग, सिविल डिफेन्स बोर्डर एफयर्स एण्ड आर ए सी आदि, जयपुर ।
18. तमिलनाडु . .	उप सचिव, तमिलनाडु सरकार गृह विभाग, मद्रास
19. त्रिपुरा . .	1. उप सचिव, त्रिपुरा सरकार, गृह (राजनीति) विभाग, पारपत्र अनुभाग, अगरतला । 2. अवर सचिव, त्रिपुरा सरकार, राजनीति विभाग, अगरतला ।
20. उत्तर प्रदेश . .	अवर सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, गृह (पारपत्र) अनुभाग, लखनऊ ।

1	2
21. पश्चिम बंगाल	1. अवर सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार, गृह (पारपत्र) विभाग, वेस्टर्न सर्किल, पहली मंजिल, मुख्य ब्लाक, राइटर्स बिल्डिंग, कलकत्ता–16.
	2. सहायक सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार, गृह (पारपत्र) विभाग, 11/ए, फ्रीस्कूल स्ट्रीट, कलकत्ता–16.
	3. जिला मजिस्ट्रेट एवंक लेक्टर, पश्चिम दीनाजपुर, बालूरघाट।
	4. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पश्चिम दीनाजपुर, बालूरघाट।
	5. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, मिदनापुर
	6. जिला मजिस्ट्रेट, बर्दवान
	7. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बर्दवान
	8. उप मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर, बर्दवान
	9. जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर, बांकुड़ा
	10. वरिष्ठ उप मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर, बांकुड़ा
	11. उप आयुक्त, पुरुलिया
	12. वरिष्ठ उप आयुक्त, पुरुलिया
	13. जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर, हावड़ा
	14. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हावड़ा
	15. वरिष्ठ उप कलेक्टर, हावड़ा
	16. जिला मजिस्ट्रेट, नाडिया, पो० कृष्णा नगर
	17. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट, नाडिया
	18. उप आयुक्त, जलपाइगुड़ी
	19. उप आयुक्त, दार्जिलिंग
	20. उप मंडल अधिकारी (सदर), दार्जिलिंग
	21. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सामान्य), मर्शिदाबाद
	22. जिला मजिस्ट्रेट, मुर्शिदाबाद
	23. उप आयक्त, कूच बिहार, (पश्चिम बंगाल)
	24. अतिरिक्त उप आयुक्त, कूच बिहार, (प० बंगाल)

IndiaCode

1	2
21. पश्चिम बंगाल—जारी	
	25. जिला मजिस्ट्रेट, चौबीस परगना, अलीपुर
	26. उप मजिस्ट्रेट, अलीपुर
	27. जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर, वीरभूम, सूरी
	28. सहायक मजिस्ट्रेट एवं सहायक कलेक्टर तथा वरिष्ठ उप कलेक्टर, वीरभूम
	29. जिला मजिस्ट्रेट, मालदा ।
	30. वरिष्ठ उप मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ उप कलेक्टर, मालदा
	31. जिला मजिस्ट्रेट, हुगली
	32. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हुगली
	33. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हुगली
	34. विशिष्ट अधिकारी, पश्चिम बंगाल सरकार, गृह (पारपत्र) विभाग, कलकत्ता–16.
	35. जिला मजिस्ट्रेट, मिदनापुर
संघ शासित क्षेत्र	
22. अन्डमान एवं नीकोबार द्वीपसमूह	उप आयुक्त, अन्डमान एवं नीकोबार द्वीप समूह, पोर्टब्लेयर
23. अरुणाचल प्रदेश	मुख्य सचिव, अरुणाचल प्रदेश सरकार, शिलांग
24. चंडीगढ़ . .	मुख्य आयुक्त, संघ शासित क्षेत्र, चंडीगढ़
52. दिल्ली . .	1. सचिव (पारपत्र), दिल्ली प्रशासन, दिल्ली
	2. अवर सचिव (पारपत्र), दिल्ली प्रशासन, दिल्ली
	3. अवर सचिव (गृह), दिल्ली प्रशासन, दिल्ली
26. गोवा, दमन एवं दीव .	अवर सचिव, गृह विभाग, गोवा, दमन, दीव एवं पणजी सरकार
27. लक्कदीवि, मिनीकाय एवं अमीन दीवि, द्वीप समूह	प्रशासक, लक्क दीवि, कवार्थी द्वीप समूह (एच० पी० ओ० कालीकट के माध्यम से)

1	2
28. मिजोरम . .	1. मुख्य आयुक्त, मिजोरम, मिजो हिल्स जिला संघ शासित क्षेत्र, ऐजल 2. मुख्य सचिव, मिजोरम, मिजो हिल्स जिला संघ शासित क्षेत्र, ऐजल
29. पाण्डिचेरी . .	अवर सचिव, पाण्डिचेरी सरकार, गृह विभाग, पाण्डिचेरी
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय	क्षेत्रीय पारपत्र अधिकारी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।

[सं० गृह (401)/50/72]
अवतार सिंह, सचिव ।

IndiaCode

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972

IndiaCode